



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1938

No. 04] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टोर कीपर	एक * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसचिवीय	स्तर -4 (25500 - 81100रु.)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख

					वह होगी जिसको कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन किया गया है (आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी यदि सीधी भर्ती की पद्धति सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा है)
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
<p>(अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वी उत्तीर्ण</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंक या किसी ऐसे प्राइवेट सैक्टर संगठन में जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है में स्टोर संभालने और स्टोर या संबंधित मे लेखा रखने का दो वर्ष का अनुभव</p> <p>या</p> <p>(आ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कारबार अध्ययन या लोक प्रशासन विषय के रूप में बैचलर डिग्री</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (19900 - 63200) स्तर-2 ग्रेड -II में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले स्टोर कीपर

टिप्पण-1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है।

टिप्पण 3 : पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों पर धारित व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा वही जारी रहेगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स (19900 -63200) स्तर-2 में आठ वर्ष की सेवा की है ।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई – अध्यक्ष 2. उप सहायक निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई – सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा .सं. ए-12018/04/2016- ईपीआई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th January, 2017

G.S.R. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai Store Keeper Grade Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non - selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Store Keeper	One* (2017) *Subject variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Non- selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep);or The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. (The age limit shall be 'Between 18 and 27 years' if the direct recruitment is by the method of Direct Open Competitive Examination)	(i) 12 th Pass from a recognized Board or University. Two year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of Central Government or State Government, autonomous or statutory organization, Public Sector Undertaking or University or Banks or in a Private Sector Organization listed on the stock exchange of India. Bachelor's Degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognized University or Institute. Note1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	Promotion: Store Keeper Grade-II, Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix with eight years regular service. Note1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for

			<p>promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2.- For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation.</p> <p>Note 3.- The eligibility service shall continue to be same for the persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p>Deputation.- Officers of the Central Government or State Government and Public Sector Undertaking-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department, or</p> <p>(ii) with eight years service in Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
--	--	--	--

[F. No. A-12018/04/2016-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक(समूह “क”) पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक (समूह “क”) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक समूह “क” भर्ती नियम, 2015 में:-

(क) (1) नियम 2 में “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां दोनों आते हैं, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) (2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (67700-208700 रुपये);

(ग) स्तंभ 11 में:-

(i) उपशीर्षक “प्रोन्नति” के अधीन “वेतन बैंड—3, 15600—39100रुपए+ ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—10(56100-177500रुपये)” प्रविष्टियां रखा जाएगा ;

(ii) “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हों), उपशीर्षक के अधीन “वेतन बैंड—3, 15600—39100रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—10(56100-177500रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. 19-7/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग—II, खंड—3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं.376(अ) तारीख 8 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

New Delhi, the 27th January, 2017

G.S.R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, the Department of School Education and Literacy, Directorate of Adult Education, Deputy Director (Group ‘A’ post), Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, the Department of School Education and Literacy, the Directorate of Adult Education, Deputy Director (Group ‘A’ post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, the Department of School Education and Literacy, the Directorate of Adult Education, Deputy Director, Recruitment Rule, 2015,-

A. in rule 2, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “Level in the Pay Matrix” shall be substituted;

B. in the Schedule, in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the Pay Matrix”;

(ii) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“Level, 11(Rs.67700-208700) in the Pay Matrix”.

C. in column 11,-

(i) under sub- heading “Promotion” for the entries “in pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400”, the entries “ Level-10 (Rs.56100-177500 in the Pay Matrix” shall be substituted,-

(ii) under sub-heading “Deputation(including short-term contract)”in (a)(ii), for the entries “pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400”, the entries “ Level-10 (Rs. 56100-177500 in the Pay Matrix” shall be substituted.

[F. No.19-7/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number GSR. 376(E), dated the 8th May, 2015.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, सहायक निदेशक(प्रकाशन) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, सहायक निदेशक (प्रकाशन) समूह “क” पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, सहायक निदेशक(प्रकाशन) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2015 में :-

(क) (1) नियम 2 “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(i) शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(ii) स्तंभ (4) के प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)”;

(ख) “स्तंभ 11” में:-

(i) उप-पैरा (क) (ii) प्रविष्टि के स्थान पर, वेतन बैंड-2, 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4800 रुपये प्रविष्टि के स्थान पर “ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8(47600-151100 रुपये)” रखा जाएगा ;

(ii) उप-पैरा(क) (iii) प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये और ग्रेड वेतन 4600 रुपये “प्रविष्टि “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रुपये)” रखी जाएंगी।

[फा. सं. 19-10/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. .374(अ) तारीख 8 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 1st February, 2017

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Directorate of Adult Education, Assistant Director (Publication) (Group'A' post), Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Directorate of Adult Education, Assistant Director(Publication)Group 'A' post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Directorate of Adult Education, Assistant Director(Publication) Group 'A' post, Recruitment Rule, 2015,-

(a) (1) in rule 2, for the words, "pay band and grade pay or pay scale" in both the places where they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(b) for the entries under column (4) the following entries shall be substituted, namely:-

"level-10(Rs.56100-177500)",

(b) "under column 11",-

(i) in sub- para(a) (ii), for the entry " pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800", the entry " Level-8 (Rs. 47600-151100 in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) in sub- para(a) (iii) for the entry the pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600", the entry " Level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted.

[F. No. 19-10/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide Notification number G.S.R. 374(E), dated 8th May, 2015.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, (संयुक्त निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2015 में :-

(क) उप नियम 2 में, "शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान", जहां दोनों स्थानों पर वे आते हैं, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) स्तंभ(4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)";

(ग) स्तंभ (11) में:-

(i) "प्रोन्नति" उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि "वेतन बैंड-3, 15600-39100+ ग्रेड वेतन 7600 रुपये" के स्थान पर, प्रविष्टि " वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700रुपये)" रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) " के अधीन, "वेतन बैंड-3, 15600-39100रुपये और ग्रेड वेतन 6600 रुपये" प्रविष्टि के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700रुपये)" रखा जाएगा ।

[फा. सं. 19-6/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375(अ) तारीख 8 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 1st February.2017

G.S.R. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Joint Director) Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Joint Director) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Joint Director) Recruitment Rule, 2015,-

(a) in rule 2, for the word, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(b) in the Schedule, in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix”;

(ii) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level, 12(Rs.78800-209200) in the Pay Matrix”;

(c) “under column (11)”,-

(i) under sub heading “Promotion”, for the entry “the Pay Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600”, the entry “Level-11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix” shall be substituted;

(ii) under sub-heading Deputation (including short-term contract), for the entry pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600”, the entry “Level-11 (Rs. 67700-208700) in the Pay Matrix” shall be substituted.

[F. No.19-6/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub- section (i), vide notification number G.S.R. 375(E) dated 8th May, 2015.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन (2) तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2014 में:-

(i) (1) नियम 2 में, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे;

(2) अनुसूची के स्तंभ (4) में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)”;

(ii) स्तंभ (11) में

(क) “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, उप पैरा (क) (ii) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये” प्रविष्टि के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) उप पैरा (क) (iii) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये” प्रविष्टि के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ग) उप पैरा (क) (iv) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये” प्रविष्टि के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(घ) “वांछनीय” शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200 रुपये” प्रविष्टि के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 19-12/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56 द्वारा तारीख 7 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 1st February, 2017

G.S.R. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy, Assistant Director (Official Language), Recruitment Rules, 2014 namely :-

1. (1) These rules may be called, Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy, Assistant Director (Official Language) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy, Assistant Director (Official Language), Recruitment Rule, 2014,-

(i) (1) In rule 2, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“Level in the pay matrix”;

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“LEVEL 10 (Rs.56100-177500) in the Pay Matrix”.

(ii) In column (11),-

(a) under heading “Deputation (including short-term contract) plus promotion”, sub-para (a)(ii) for the entry the “pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800”, the entry “Level-8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix” shall be substituted.

(b) in sub-para (a)(iii), for the entry “pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs.4600” the entry “Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix” shall be substituted.

(c) in sub-para (a)(iv), for the entry “pay band-2, Rs 9300-34800 plus grade pay of Rs.4200” the entry “Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted.

(d) under heading “Desirable”, in Note:1, for the entry the “pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200”, the entry “Level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix” shall be substituted.

[F. No.19-12/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification number G.S.R.56 dated the 7th March, 2014.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अधीक्षक भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अधीक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अधीक्षक भर्ती नियम, 2014 में:—

(क) (1) नियम 3 “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, शब्दों के लिए दोनो स्थान पर जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,—

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400-112400 रुपये);

(ख) स्तंभ 11 में:—

(i) उपशीर्षक “प्रोन्नति” के अधीन वेतन बैंड—1, 5200—20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400 रुपये प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4(25500-81100 रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) उपशीर्षक “प्रतिनियुक्ति के अधीन —

(क) उप-पैरा(ii) में—

“वेतन बैंड—1, 5200—20200 रुपये + 2800 रुपये प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5(29200-92300 रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) उप-पैरा(iii) में—

“वेतन बैंड—1, 5200—20200 रुपये + 2400 रुपये प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (25500-81100 रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

[फा. सं. 19—17/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग—2, खंड—3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं.198 तारीख 15 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 27th January, 2017

G.S.R. 25.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Superintendent, Recruitment Rules, 2014, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy Superintendent, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Superintendent, Recruitment Rule, 2014, -

- (a) (1) In rule 3, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“Level in the pay matrix”;

- (ii) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“Level, 6(Rs.35400-112400) in the Pay Matrix”.

(b) “In column 11,-

- (i) under sub- heading “Promotion” for the entries, the Pay Band-1, Rs.5200-20200 and Grade Pay of Rs.2400”, the entries, “ Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted.

- (ii) under the sub-heading ‘Deputation’,-

- (A) in sub- para (ii), for the entries pay band-1, Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2800”, the entries “ Level-5 (Rs.29200-92300 in the pay matrix” shall be substituted.

- (B) in sub- para (iii), for the entries, “ pay band-1, Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2400”, the entries “ Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted.

[F. No.19-17/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number GSR. 198 dated the 15th September.2014.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची के कालम (4) में:-

- (i) स्तंभ के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

- (ii) कालम (4) नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)”¹

[फा. सं. 19-22/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77 तारीख 17 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 1st February, 2017.

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi (Junior Translator), Recruitment Rules 2014, namely :-

1. (1) These rules may be called, the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi, (Junior Translator), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, New Delhi, (Junior Translator), Recruitment Rules, 2014, in column (4),-

(i) for the column heading, the following column heading shall be substituted namely;-

“LEVEL in the PAY MATRIX”;

(ii) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely;

“LEVEL 6 (Rs.35400-112400 s)” in the Pay Matrix”.

[F. No. 19-22/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note : The Principal rules were published vide Notification number G.S.R .77 dated the 17th April, 2014.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में आशुलिपिक श्रेणी—I भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आशुलिपिक श्रेणी—I भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आशुलिपिक श्रेणी—I भर्ती नियम, 2014 में:-

(क) (1) नियम 3 “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, , शब्दों के लिए दोनो स्थान पर जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये);

(ख) “स्तंभ 11” में:-

(i) उपशीर्षक “प्रोन्नति” के अधीन वेतन बैंड-1, 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400 रुपये प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

उपशीर्षक प्रतिनियुक्ति/अमेलन के अधीन “वेतन बैंड-1, 5200-20200रुपए + 2400 रुपये प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

[फा. सं. 19-16/2011-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं.157 तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 27th January, 2017

G.S.R. 27.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Stenographer Grade-I, Recruitment Rules, 2014, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Stenographer Grade-I, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Stenographer Grade-I, Recruitment Rule, 2014,-

(a) (1) In rule 3, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“Level in the pay matrix”;

(ii) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“Level, 6(Rs.35400-112400) in the pay matrix”.

(b) In column (11).-

(i) under sub heading “Promotion” for the entries, the pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay Rs.2400”, the entries, “Level-4 (Rs.25500-81100)” in the pay matrix” shall be substituted.

(ii) under the sub-heading ‘Deputation/absorption’ for the entries in the pay band-1, Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2400”, the entries “Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix” shall be substituted.

[F. No.19-16/2011-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number GSR. 157 dated the 15th July, 2014.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आशुलिपिक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2014 में:-

(1) नियम 2 में “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, शब्दों के लिए दोनो स्थान पर जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची में स्तंभ 4 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)”;

[फा. सं. 19-11/2010-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107 तारीख 22 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 1st February, 2017.

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Stenographer Grade-II, Recruitment Rules, 2014, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy Stenographer Grade-II, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Stenographer Grade-II, Recruitment Rule, 2014:-

(1) In Rule 2, for the words, “ pay band and grade pay or pay scale” at both the places where they occur, the words “Level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“LEVEL in the PAY MATRIX”;

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely;

“Level 4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix”.

[F. No. 19-11/2010-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number GSR. 107 dated the 22nd May, 2014.

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, में निम्न श्रेणी लिपिक समूह “ग” पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, में निम्न श्रेणी लिपिक समूह “ग” पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिक समूह “ग” पद भर्ती नियम, 2013 में:-

(क) (1) नियम 2 में, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”, शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, दोनों स्थानों पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे;

(2) अनुसूची के स्तंभ (4) में :-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)”;

(ख) स्तंभ (10) में “ 1800 रुपये के ग्रेड वेतन” प्रविष्टियों के स्थान पर आते हैं, दोनों स्थानों पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. 19-63/2009-ए.ई.-1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.188 तारीख 30 जुलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 1st February, 2017

G.S.R.29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' post Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' post Recruitment Rules, 2013,-

(a) (1) in rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" at both the places where they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the Schedule in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

"LEVEL in the PAY MATRIX";

(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"LEVEL 2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix".

(b) In column (10), for the entries, "the grade pay of Rs.1800/-" at both the places where they occur, the entries "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. 19-63/2009-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number G.S.R. 188 dated the 30th July, 2013.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी, भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में लेखाधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखा अधिकारी	2* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित), अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400/- रुपये	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा था)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी एवं स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी:-

(i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400/-रुपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता:

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री के साथ किसी सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो, अथवा
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री के साथ सचिवालयीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में पूर्ण प्रशिक्षण सहित रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय :

(क) भारत सरकार के संगठित लेखा विभागों में से किसी एक द्वारा आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(ख) वाणिज्य या प्रबंधन या व्यवसाय अध्ययन में बैचलर डिग्री।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन-मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/02/2015-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Accounts Officer Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the

National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Accounts Officer, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc..**—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	2* (2017) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the pay matrix, Rs.44900-142400/-	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Deputation (including short term contract)

(A) Officers under the Central Government, State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Statutory and Autonomous Bodies :-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix, Rs.35400-112400/- or equivalent in the parent cadre or department ; and

(B) possessing any one of the following qualifications:

Essential:

- (i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or
- (ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training and Management or any other training Institute recognised by Government of India.

Desirable: -

- (a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
- (b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level and the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level and the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level and the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/02/2015–NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन- मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक सहायक (इलेक्ट्रिकल)	17* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्व-विद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या इलैक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार इंजीनियरी में इंजीनियरी बेचलर्स या प्रौद्योगिकी बेचलर्स।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स मापन का दो वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अर्हता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अर्हताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (इलैक्ट्रिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक सहायक (गैर-विध्वंसक)	05* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी या मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी गैर-विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों। टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,

विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।		जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
---	--	--

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल)	12* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी मैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:</p> <p>1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक सी (मैकेनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी-सिविल)	15* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी अथवा सिविल इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में सिविल इंजीनियरिंग सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (भौतिक-सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. वैज्ञानिक सहायक (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक एवं वस्त्र)	09* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ब' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय

<p>किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी अथवा वस्त्र प्रौद्योगिकी अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा प्लास्टिक इंजीनियरी अथवा पॉलिमर तथा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की वस्त्र अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा कागज अथवा चमड़ा और उनसे निर्मित उत्पादों का परीक्षण करने वाली किसी प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>		वर्ष	<p>सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	------	---

(11)

लागू नहीं होता

(12)

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:

1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : अध्यक्ष
2. वैज्ञानिक सी (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र), राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला : सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	41* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा

				सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन-शास्त्र अथवा माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री; अथवा</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।</p> <p>वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विश्लेषणकर्ता अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति: 1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/06/2014-एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उपनिदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistants in National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientific Assistant (Electrical)	17* (2017) (*Subject to variation depending	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued

	on work load).	Ministerial.			by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	----------------	--------------	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Electrical and Electronic Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable : Two year' s experience of advanced Electrical or Electronics Measurements in a laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings. Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years' regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7). Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not

requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			<p>be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Electrical), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant (Non-Destructive).	05* (2017) (*Subject to variation depending on work load).	General central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	<p>Not exceeding thirty years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable: Two year's experience in Non – Destructive testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)	
Not applicable	
(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman</p> <p>2. Scientist C (Non – Destructive), National Test House -Member</p> <p>3. Administrative Officer, National Test House -Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Assistant (Mechanical).	12* (2017) (*Subject to	General Central Service Group 'B', Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

	variation depending on work load.)	Gazetted, Non-Ministerial.			Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	------------------------------------	----------------------------	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable : Two year's experience in Mechanical testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.</p> <p>Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman 2. Scientist C (Mechanical), National Test House -Member 3. Administrative Officer, National Test House -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Scientific Assistant (Physical-Civil).	15* (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Chemical Technology or Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable : Two years' experience in the testing and evaluation of Civil Engineering Material in a laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings. Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).

<p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	---

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group' B' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman 2. Scientist C (Physical Civil), National Test House- Member 3. Administrative Officer, National Test House-Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>5. Scientific Assistant (Physical, Rubber, Plastic and Textile).</p>	<p>09 * (2017) (*Subject to variation depending on work load.)</p>	<p>General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p>	<p>Level 7 in the pay matrix.</p>	<p>Not applicable.</p>	<p>Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University ; or</p> <p>(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Textile Technology or Rubber Technology or Plastic Engineering or Polymer and Rubber Technology or Chemical Technology from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field.</p> <p>Desirable : Two years' experience in the laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings engaged in the testing of Textile or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products.</p> <p>Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group ' B ' Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairman 2. Scientist C (Physical, Rubber, Plastic and Textile), National Test House-Member 3. Administrative Officer, National Test House -Member 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Assistant (Chemical).	41* (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	N.A.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Chemistry or Microbiology from a recognised University ; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable: Two years experience in an analytical or chemical testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings. Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix ;and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7). Note 2 : The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Group' B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman 2. Scientist C (Chemical), National Test House-Member 3. Administrative Officer, National Test House-Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/06/2014-NTH]

D.K.SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 32.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यालय अधीक्षक	23* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर -6 (35400-112400/- रुपए)	चयन

सीधी भर्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलेन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलेन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/- रुपए) के स्तर -4 में के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो।

प्रोन्नति - प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुए होगी।

परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पहले प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, पर भी इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्षों के अंदर-अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं को प्रोन्नति के लिए ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने से छूट दी जाएगी।

टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में स्तर का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन-मैट्रिक्स में स्तर पर प्रदान की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जो:

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; अथवा

(ii) उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन-मैट्रिक्स (25500-81100/- रुपए) में स्तर-4 का पद धारण किए हुए हो; और

(ख) प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव रखता हों।

टिप्पणी- 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी- 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष 2. अवर सचिव अथवा उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) उपभोक्ता मामले विभाग -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी- II) , क्षेत्र की राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/6/2013-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Office Superintendent Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

(1) **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Test House (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent	23 * (2017) (*Subject to variation dépendant on workload).	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Ministerial.	Level – 6 (Rs. 35400-112400/-)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or transfer grades from which promotion or deputation or absorption or transfer to be made
(11)
<p>Promotion:</p> <p>Upper Division Clerk in the level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100/-) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Promotion shall be subject to successful completion of training of four weeks in the field of Administration, Establishment and Accounts matters:</p> <p>Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee.</p> <p>Provided further that those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training for promotion.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers under the Central Government</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) holding posts in the level - 4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100/-) with ten years 'regular service in the grade; and</p> <p>(B) having two years' experience in Administration, Establishment and Accounts matters.</p> <p>Note-1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note-2 :- Period of deputation including the period of deputation in another ex – cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer of deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Administrative Officer, National Test House -Chairman 2. Under Secretary or Deputy Director (National Test House)- Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) , National Test House of the Region-Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/6/2013 – NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रशासनिक अधिकारी	01* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700-208700/- रुपये	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलेन किया जाएगा

(11)

संयुक्त पद्धति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकायों या कानूनी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अनुसन्धान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अधीन अधिकारी, जो :-

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
- (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 10, 56100-177500/- रुपये में के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) नीचे यथाविहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री;
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्त या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्य में पांच वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण- 1 : वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 10, 56100-177500 रुपये में के विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो पर भी बाहरी व्यक्तियों से साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर उनका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति से भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-12018/2/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the post, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer	01* (2017) (* Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial .	Level 11 in the Pay Matrix Rupees 67700-208700.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil	Composite method (deputation including short term contract) plus promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made

(11)

Composite method (promotion/deputation (including short term contract):

Officers under the Central Governments/State Government/Union territories/autonomous bodies/statutory bodies/public sector undertakings/research institutions/Universities :-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or

(ii) with five years' regular service in posts in the pay level 10 in the pay matrix Rupees 56100-177500 ; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed as under:

(i) degree of a recognised University or Institute; and

(ii) five years' experience in accounts, administration and establishment work in a Government office or public sector undertakings or autonomous or statutory body.

Note 1: The Departmental Administrative Officer (Grade I) in the pay level 10 in the pay matrix Rupees 56100-177500 with five years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2. The period of deputation including the period of deputation in another ex – cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/02/2014 – NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, तकनीकी सहायक (रसायन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में तकनीकी सहायक (रसायन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, तकनीकी सहायक (रसायन) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी सहायक (रसायन)	02* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6, रुपए 35400-112400/-	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रति नियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में के ऐसे विभागीय प्रयोगशाला पर्यवेक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन-मैट्रिक्स में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा कानूनी और स्वायत्त निकायों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी, जो :-

- (क) (i) मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हों; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काँडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो; अथवा
- (iii) जिन्होंने मूल काँडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा हो; और।

(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक अर्हता और अनुभव रखते हों :

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में बैचलर डिग्री।
- (ii) रसायन प्रयोगशाला में फोरमैन, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक अथवा प्रयोगशाला सहायक के रूप में 2 वर्षों का अनुभव और मशीनों, उपकरणों और उपकरणों के रख-रखाव का ज्ञान। कैमिकल रीजेन्ट्स, डिस्टिल्ड वॉटर/डिमिनरलाइनेशन संयंत्र, फरनेस और ओवन इत्यादि जैसे रासायनिक संयंत्रों और उपकरणों का संचालन और रख-रखाव।

टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पर (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. क्षेत्र के वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'ग' : अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	
2. क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II) : सदस्य	

[फा. सं. ए.-12018/4/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House Technical Assistant <Chemical>, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant <Chemical> in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House namely :-

1. Short title and commencement.—(1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Technical Assistant <Chemical>, (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant (Chemical).	02* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level - 6, Rs.35400 - 112400/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.

(11)

Promotion : Departmental Laboratory Supervisor in the Level - 5 of Pay Matrix with six years regular service in the grade

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state government or Union territories or Public Sector Undertakings or statutory and autonomous bodies or recognised research institutions or Universities:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level - 5 of Pay Matrix in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level - 4 of Pay Matrix in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualification and experience as under :
 - (i) Bachelor degree of Science with Chemistry from a recognised University; and
 - (ii) two years' experience in Chemical Laboratory as Foreman, Lab Supervisor or Lab Assistant and possessing knowledge of Up-keeping of machines, equipments and apparatus. Preparation of Chemical reagents, operation and maintenance of chemical plants and equipments like distilled water or demineralisation plants, furnaces and ovens etc.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one

grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :- 1. Senior most Scientist 'C' of the Region -Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A -12018/04/2014- NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षणशाला में सहायक कार्यशाला अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कार्यशाला अधीक्षक	3* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित), अननुसूचित	स्तर-6, रुपए 35400-112400/-	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में के ऐसे अनुरक्षण पर्यवेक्षक या वेल्डिंग पर्यवेक्षक या इलैक्ट्रिकल चार्जमैन जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और फिटर या टर्नर या मिलर या ग्राइंडर या शेपर या ड्रिलर या वेल्डर या मेकेनिक के ट्रेड में न्यूनतम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किया हो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिस्ट हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद में विहित अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के अनुसार तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 (जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन-मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. क्षेत्र का वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'ग' : अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग : सदस्य	
3. क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II) : सदस्य	

[फा. सं. ए.-12018/4/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Assistant Workshop Superintendent, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Workshop Superintendent in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House namely:-

1. Short title and commencement.—(1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Assistant Workshop Superintendent, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Workshop Superintendent.	3* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level-6, Rs. 35400-112400/-.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.

(11)

Promotion :

(i) Maintenance Supervisor or Welding Supervisor or Electrical Charginan in the Level - 5 of Pay Matrix with six years regular service in the grade and have successfully completed the training of not less than two weeks in the trade of Fitter or Turner or Miller or Grinder or Shaper or Driller or Welder or Mechanic and Machinist from the Industrial Training Institute.

Note 1 : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in the respective grade or post by the officers.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :— 1. Senior most Scientist 'C' of the Region -Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs -Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/4/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)